भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1742
जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में आरक्षण नीति

1742. श्री ए.के.पी. चिनराज :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलयू) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (एससी/एसटी/ओबीसी) के लिए विशिष्ट आरक्षण लागू नहीं किया गया है और यदि हां, तो इसके राज्य-वार क्या कारण हैं ;

(ख) 2014 से 2019 तक सभी एनएलयू में एससी/एसटी/ओबीसी के लिए खाली आरक्षित सीटों का एनएलयू-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सभी एनएलयू में अपनाई गई आरक्षण नीति का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय संबंधित राज्य विधान मंडलों द्वारा अधिनियमित अधिनियमों के अधीन स्थापित किए गए हैं और इसलिए वें राज्य के विश्वविद्यालय हैं । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की बाबत भारत सरकार की आरक्षण नीति केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या वित्तपोषित केन्द्रीय शैक्षिणक संस्थानों पर लागू होती है ।

****